भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फाइल नं.: 25-एनटी (1)/2014

दिनांक: 13.4.15

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 5/2015

विषय: तेल प्रदूषण क्षति के नागरिक दायित्व पर अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन, 1969 में संशोधन करने के लिए 1992 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 7 के प्रावधान के अंतर्गत तेल प्रदूषण क्षति के संबंध में बीमे या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण पत्र जारी किया जाना (सीएलसी प्रोटोकॉल 1992)-संबंधी.

1. तेल प्रदूषण क्षति 1969 के नागरिक दायित्व पर अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन को संशोधित करने के लिए प्रोटोकॉल 1992 (सीएलसी प्रोटोकॉल 1992) (इसके बाद इसे कन्वेन्शन कहा गया है) 27 नवंबर, 1992 को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अंगीकार किया गया था. यह कन्वेन्शन 30 मई 1996 को प्रवृत्त हुआ. भारत ने 15 नवंबर 1999 को परिग्रहण संलेख जमा करवाया और 15 नवंबर 2000 को यह संलेख प्रवृत्त हुआ.

2. कन्वेन्शन के अनुच्छेद 7 के परिच्छेद (2) के अनुसरण में, बीमे या अन्य वित्तीय सुरक्षा का सत्यापन करने वाला प्रमाण पत्र (सीआईओएफएस) जो कि इस कन्वेन्शन के प्रावधानों के अनुसरण में लागू हो वह संविदाकारी राष्ट्र के समुचित प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित कर लिए जाने के बाद हर पोत को जारी किया जाएगा कि अनुच्छेद 7 के परिच्छेद (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है.

3. कन्वेन्शन के अनुच्छेद 7 के परिच्छेद (1) में यह अपेक्षा है कि संविदाकारी राष्ट्र में पंजीकृत पोत का स्वामी और जो कार्गो के तौर पर बल्क में 2000 टन से अधिक तेल ले जा रहा हो उसे इस कन्वेन्शन के अंतर्गत प्रदूषण क्षति दायित्व को कवर करने के लिए इस कन्वेन्शन के अनुच्छेद 5, परिच्छेद 1 में विहित दायित्व की सीमाओं तक बीमे या अन्य वित्तीय सुरक्षा को बनाए रखना होगा.

--2

4. दिनांक 27 मार्च, 2008 को वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण क्षति के प्रति नागरिक दायित्व) नियमावली, 2008 अधिसूचित किए गए. उक्त नियमों में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि नागरिक दायित्व कन्वेन्शन (सीएलसी) के अंतर्गत भारतीय पोतों के संबंध में सीआर्इओएफएस जारी किए जाने की प्रक्रिया क्या है. भारतीय पोतों के पंजीकार के रूप में समुद्री वाणिज्य विभाग के प्रधान अधिकारी भारतीय पोतों को सीआईओएफएस जारी करते रहे हैं.
5. बीमा कंपनियों के बारे में पूछताछ की गई है कि भारतीय पोत स्वामी किनसे बीमा कवर ले सकते हैं जिससे कि वे नागरिक दायित्व कन्वेन्शन के अंतर्गत सीआईओएफएस जारी करवाने के लिए पात्र हो सकें.
6. अनुच्छेद 7 के परिच्छेद (8) सहित कन्वेन्शन के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है जिनमें अनुमति दी गई है कि बीमाकर्ता और वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों के पत्तनों, लंगरगाहों और अपतटीय केन्द्रों में प्रवेश का विनियम) नियमावली, 2012 (पीईआर, 2012) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमोदित बीमा कंपनियों को दृष्टिगत रखते हुए सीधी कार्रवाई की जा सकती है, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किए गए कन्वेन्शन में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं तक के बीमे के प्रमाण पत्र (यानी बीमे का ब्लू कार्ड) के परिणामस्वरूप सवावि द्वारा सीआईओएफएस जारी किया जाएगा.

6.1. पीएन्डआई (प्रोटेक्शन एन्ड इन्डेम्निटी) क्लबों के अन्तरराष्ट्रीय ग्रुप (आईजी) द्वारा जारी किया गया बीमे के प्रमाण के तौर पर बीमे के प्रमाणपत्र (यानी बीमे के ब्लू कार्ड) जमा करवाना.

6.2. बीमे के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत बीमे के प्रमाण पत्र (यानी बीमे के ब्लू कार्ड) उन बीमा कंपनियों के द्वारा जारी किए गए हो सकते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर औपचारिक रूप से अनुमोदित की गई हों और वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों के पत्तनों, लंगरगाहों और अपतटीय केन्द्रों में प्रवेश का विनियम) नियमावली 2012 (पीईआर, 2012) के प्रावधानों के अंतर्गत मान्य हो.

7. भारतीय पोत स्वामियों के ध्यान में यह बात और लाई जाती है कि कन्वेन्शन के अनुच्छेद 7 के परिच्छेद (8) को दृष्टिगत रखते हुए सीआईओएफएस जारी करवाने के प्रयोजन से बीमा कंपनियों द्वारा प्रोमोट किए गए व्यापारिक नामों की बजाय बीमा कंपनियों से करवाया जाना अपेक्षित है.

8. पीईआर, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमोदित बीमा कंपनियों द्वारा प्रोमोट किए गए व्यापारिक नाम और बीमा कंपनियों की सूची इस कार्यालय की सरकारी वैबसाइट (www.dgshipping.gov.in) पर दी गई है.

9. यह बात और स्पष्ट की जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक आरूप में प्रस्तुत किये गये बीमे के प्रमाण (यानी बीमे के ब्लू कार्ड) पत्र ऑनलाइन सत्यापन योगय हों, वे भी नागरिक दायित्व कन्वेन्शन के अंतर्गत सीआईओएफएस को जारी किए जाने के लिए स्वीकारे जाएंगे.

10. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(कप्तान के पी जयकुमार)
उप नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार